# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

**अपील संख्याः–16 / 2019**
**जी.सी.एम.एस .संख्याः–2019 / 00001**

(223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. श्यामा देवी पत्नी जयराम जाति कीर उम्र 49 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम बाढ़ बिलोली तहसील मलारना डूंगर व जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलांट ।

बनाम

1. श्रीमती शांति पुत्री हरदेवा पत्नी रतनलाल जाति कीर निवासी बाढ़ बिलोली तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर ।
2. कालू पुत्र हरदेवा जाति कीर,
3. कमली बेवा मोती
4. प्रेम शंकर पुत्र मोती
5. सप्ताह पुत्री मोती
6. जगदीश पुत्र धन्ना,
7. बदरी पुत्र धन्ना

   समस्त जातियान कीर निवासीयान कीरपुरा तहसील मलारना डूंगर व जिला सवाई माधोपुर राज0।
8. जग्गा पुत्र धन्ना हाल निवासी माकडोदा तहसील व जिला श्योपुरा मध्यप्रदेश।
9. सरकार जरिए तहसीलदार सवाई माधोपुर राज0।
10. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खिलचीपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर जरिए मेनेजर।
11. उप पंजीयक महोदय सवाई माधोपुर राज0।

.....रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री शिवचरण सोनी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बृजेन्द्र विजयवर्गीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगा0 08 व 11 अनुपस्थित
4. श्री पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट संख्या 09

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



Scanned with CamScanner

–::निर्णय::–

दिनांक 12.12.2022

1. यह अपील मातहत अदालत सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 116/2012 बउनवान श्रीमति शांति बनाम कालू वगैरहा में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2018 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 व शेष रेस्पोडेन्टान् के विरूद्व मातहत अदालत के समक्ष एक वाद इस आशय का पेश किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 दोनो सगे भाई बहन है, व ग्राम कीरपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर के रहने वाले काश्तकार पेशा व्यक्ति है। दोनों के माता पिता की मृत्यु पश्चात् पिता की संपति में से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व रेस्पोडेन्ट संख्या 02 का प्रत्येक का 1/2 हिस्सा बनता है। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या 01 1/2 हिस्से की वारिसान हकदार है। मातहत अदालत सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर ने मुकदमा नंबर 116/2012 में दिनांक 31.10.2018 को निर्णय पारित किया कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बरान की भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 02 लगायत 07 का है व शेष बचा 1/2 हिस्सा में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 01 कालू पुत्र हरदेवा का व शेष बचा 1/4 वादीया शान्ति देवी पुत्री हरदेवा को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा पश्चात्वती विक्रय शून्य घोषित कर अपास्त किया जाता है एवं राजस्व रिकार्ड में यदि केता श्रीमती श्यामा देवी पतनी जयराम कीर निवासी बाढबिलोली का इन्द्राज कर दिया हो तो उसे हटाया जाकर उसके स्थान पर राजस्व रिकार्ड में भी सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर के आदेशानुसार इन्द्राज किया जावें। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने अपने हिस्से की विवादित आराजीयात वर्तमान खसरा नम्बर 115 रकबा 11 ऐयर, 116 रकबा 8 ऐयर, 117 रकबा 7 ऐयर, 118 रकबा 6 ऐयर, 119 रकबा 44 ऐयर, 208 रकबा 4 ऐयर, 218 रकबा 10 ऐयर, 235 रकबा 46 ऐयर, 240 रकबा 33 ऐयर, 245 रकबा 6 ऐयर, 255 रकबा 35 ऐयर, 469 रकबा 3 ऐयर, 470 रकबा 1 ऐयर, 471 रकबा 11 ऐयर, 514 रकबा 47 ऐयर, 580 रकबा 38 ऐयर, 582 रकबा 2 ऐयर, 583 रकबा 16 ऐयर, 595 रकबा 2 ऐयर, कुल किता 19 कुल रकबा 3.30 हैक्टेयर वाके ग्राम कीरपुरा का 1/2 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 475 रकबा 1.30 हैक्टेयर, 482/845 रकबा 0.26 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.56 हैक्टेयर का 17/82 हिस्सा वाके ग्राम कीरपुरा तहसील सवाई माधोपुर को दिनांक 17.05.2017 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



Scanned with CamScanner

श्यामादेवी को बेचान कर दिया है। अतः अपीलांट उक्त विवादित आराजी को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से खरीद कर लेने से अपीलांट उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से मातहत अदालत द्वारा दिये गये निर्णय व डिक्री में रेस्पो0 02 के विरूद्व किये गये निर्णय एवं डिक्री की अपील प्रस्तुत करने का अधिकार रखती है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पिता का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था उसके बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के हक में नामान्तकरण खोला गया जो सही है। जिसे गौर किये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावें। अपील मीमों के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं धारा 96 सी0पी0सी0 प्रार्थना पत्र पेश किए गए।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा स्वीकार किए जाने की सहमति व्यक्त की गई। सहमति के आधार पर धारा 5 प्रार्थना पत्र धारा 5 अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

6. प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपर्युक्त उनवानी प्रकरण में अदालत मातहत में अपीलांट पक्षकार नही था। मातहत अदालत प्रकरण में श्रीमति शांति बनाम कालू वगैरहा में प्रतिवादी कालू ने विवादग्रस्त आराजी में से अपने हिस्से की आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलांट के हक में दिनांक 17.05.2017 को करवा दिया था। अतः अपीलांट उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। जिसमें मातहत अदालत ने प्रतिवादी कालू उपस्थित नहीं होने से वादी शांति देवी के हक में निर्णय एक तरफा में हुआ है। उक्त निर्णय के विरूद्व न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील पेश की जा रही है।

7. अधिवक्ता अपीलांट द्वारा धारा 96 सी.पी.सी. के बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो का उल्लेख करते हुए कथन किया कि अदालत मातहत के आदेश दिनांक 31.10.2018 के द्वारा हित प्रभावित हो रहे है। अपीलांट को अदालत मातहत ने पक्षकार नही बनाया गया और सुनवाई का अवसर भी नही दिया गया। प्रार्थी का विवादग्रस्त भूमि के हित व अधिकार निहित है। इसलिए पार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



Scanned with CamScanner

8. अधिवक्ता अपीलांट ने मुख्य बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित उक्त आराजी पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त विक्रय पत्र बेचान की रजिस्ट्री से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी अपीलांट का ही कब्जा काश्त है। जिसे गोर किये बिना ही निर्णय एवं डिक्री जारी किया गया है। आगे कथन किया कि मातहत अदालत ने अपीलांट के हक में की गई विक्रय पत्र की रजिस्ट्री दिनांक 17.05.2017 को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने आज दिन तक नही करवाई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जावें।

9. जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने रेस्पो0 संख्या 10 की ओर से कथन किया मातहत अदालत द्वारा किया गया निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2018 पूर्ण रूप से सही है। अपील पेश करने का औचित्य नही है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

10. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दस्तावेजो के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी सम्वत् 2063 वाके ग्राम कीरपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर के खाता संख्या 11 के कुल किता 2 रकबा 1.56 हैक्टेयर में कालू पुत्र हरदेवा 17/52 व खाता संख्या 12 में कुल किता 19 रकबा 3.30 हैक्टेयर में 1/2 हिस्से का रिकार्डेड खातेदार है।

11. अदालत मातहत द्वारा वाद पत्र व जवाब दावा के आधार पर 3 तनकीयात कायम की गई । तनकी नम्बर 01 इस प्रकार है:–

"तनकी नम्बर 01 आया विवादग्रस्त आराजीयात वादीया व प्रतिवादी नम्बर के पिता हरदेवा की कब्जे काश्त की आराजीयात है हरदेवा की मृत्यु के बाद विवादग्रस्त आराजीयात में हरदेवा के हिससे की आराजीयात में वादीया व प्रतिवादी नम्बर 01 का हिस्सा है।"

प्रथमः–इस तनकी बाबत् अदालत मातहत द्वारा मृतक हरदेवा के केवल दो वारिसान तय करके ही निर्णय पारित किया है। परन्तु जवाब दावा के अनुसार मृतक हरदेवा के 3 जायन्दा औलाद (1) कालू (2) शांति (3) स्याणी है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा विवादित आराजीयात का 1/2 हिस्सा मानकर निर्णय पारित किया गया है, वह अपास्त योग्य है,

द्वितीयः– अपीलांट द्वारा विवादित आराजीयात को रजिर्स्टड विक्रय पत्र दिनांक 17.05.2017 द्वारा क्रय की गई है। परन्तु इस तथ्य को वादी/रेस्पोडेन्टगण द्वारा छिपाते हुए अदालत मातहत में वाद पेश किया गया। अपीलांट को बिना विधिवत् सुनवाई का मौका दिए ही निर्णय पारित किया है। इस कारण अदालत मातहत का निर्णय अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



Scanned with CamScanner

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अदालत मातहत सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.10.18 बउनवान शांति बनाम कालू वगैरहा को अपास्त कर पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक हरदेवा की पुत्री स्याणी को पक्षकार बनाया जाकर एवम् अपीलांट को विधिवत् सुनवाई का मौका दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी में दिनांक 12.01.2023 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो, नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
12.12.22
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

नोट: पाँचवी पंक्ति मे "अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी" के स्थान पर "अदालत मातहत सहायक कलक्टर, सवाई माधोपुर" पढ़ा जावे।
27.3.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर



Scanned with CamScanner